उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद उत्पादन निगम लिमिटेड
शक्ति भवन विस्तार, 8वां तल, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक : 91 / रिफॉर्म / मा.सं. / पाली नीति

दिनांक : नवम्बर 7, 2005

मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक,
ताप विद्युत गृह,
अनपरा / ओबरा / हरदुआगंज / पनकी / पारीछा
सोनभद्र / सोनभद्र / कासिमपुर,अलीगढ़ / कानुपर / झांसी

विषय : अधिशासी अभियंताओं की पाली में तैनाती के सम्बन्ध में।

यह संज्ञान में आया है कि कुछ तापीय विद्युत गृहों पर अधिशासी अभियंताओं की पाली में तैनाती के सम्बन्ध में भ्रम व्याप्त है जिसके कारण अधिशासी अभियंताओं की पाली में तैनाती या तो की नहीं जा रही है या कतिपय अधिशासी अभियंताओं द्वारा अधिशासी अभियंता पद पर पाली सेवा न किये जाने के कारण विद्युत गृहों पर असंतोष व्याप्त है।

इस सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि अभियंताओं हेतु विस्तृत पाली सेवा नीति निदेशक मंडल के विचारार्थ प्रस्तुत की जा रही है। निदेशक मंडल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम आदेशों तक यह सलाह दी जाती है कि अधिशासी अभियंताओं को, अधिशासी अभियंता के पद पर विद्युत गृह में पदभार ग्रहण किये जाने की तिथि के आधार पर, वरिष्ठता क्रम में पाली सेवा में नियुक्त किया जाये।

पी सी पण्डा
(पी.सी.पण्डा)
निदेशक (कार्मिक)
7/11/05